न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—99/2020 (2020/00160) वाद पत्र

अनवान

1—छीतर पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायण पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंकर पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—ईश्वर पिता दयाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रतनलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—21.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2199 रकबा 0.87 है जिसके खाता संख्या 175 है व आराजी संख्या 2195 रकबा 0.52 है. आराजी संख्या 2308 रकवा 0.99 है जिसके खाता संख्या 177 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 है भुमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक की प्रस्तुत की है। आराजियात में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है फिर भी प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर विपक्षीगण आये दिन दखल अन्दाजी करते रहते हैं विपक्षीगण का प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2198 व 2199 के पास पड़ी हुई बिलानाम भुमि पर नाजायज कब्जा है जिसकी आड में आये दिन प्रार्थीगण की भुमि में नुकसान कारित करते रहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 2195 रकबा 0.52 है व आराजी संख्या 2199 रकबा 0.87 है भुमि मौके पर पास पास स्थित है तथा उक्त भुमि के उत्तरी और बिलानाम भुमि पड़त पड़ी हैं जिस पर विपक्षीगण का नाजायज कब्जा है नाजायज कब्जे की आड में विपक्षीमण दिनांक 31/08/2020 को प्रार्थीगण की भूमि में जबरन घुसकर पत्थर डालने लगे तथा जे.सी.बी. एवं टेक्ट्रर से मलबा डालकर चार दिवारी करने पर आमादा हुये जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रायपुर पर दी लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षीगण ताकत के बल पर दिवार चुन रहे है जिसके फोटो ग्राफ वादपत्र के साथ पेश है वादीगण ने विपक्षीगण को दिनांक 31/08/2020 को चार दिवारी करने से मना किया लेकिन विपक्षीगण भुजबल के आधार पर चार दिवारी कारीगर मजदुर लगाकर चार दिवारी बना रहे है जिन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक हो गया है इस हेतु यह वादपत्र पेश किया है जो अवश्य डिक्री होगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण को वादीगण की भुमि में जबरन दखलन्दाजी करने एंव निर्माण करने से जरिये अस्थाई

निषेधाज्ञा के नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन नकदी में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे की प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजी संख्या 2198 रकवा 0.52 है0, आराजी संख्या 2308 रकबा 0.99 है0 व आराजी संख्या 2199 रकबा 0.87 है0 कुल है किता 3 कुल रकबा 2.38 है0 भुमि पर विपक्षीगण नाजायज दखलन्दाजी नही करे तथा न ही उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण स्वयं करे या किसी अन्य से करावें प्रार्थीगण को शान्ति पुर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि आराजी संख्या 2198 रकबा 0.52 है0 तथा आराजी संख्या 2308 रकबा 0.99 है0 पर करीब 70–80 वर्षो से प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही हैं तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम आंवटित नहीं हुई तथा न ही कोई आवंटन आदेश जारी किया गया है। उक्त आराजी के साबिक नम्बरो को जमाबंदी में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम गलत दर्ज किया जाना है। आराजी संख्या 2198 रकबा 0.52 है0 पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा उनके पूर्वजो के समय से चला आ रहा है तथा आराजी संख्या 2308 रकबा 0.99 है0 पर सुखलाल पिता आसुराम गुर्जर का कब्जा उनके पूर्वजो के समय से चला आ रहा है जिसे करीब 70–80 वर्ष हो गए हैं। प्रार्थीगण केवल आराजी संख्या 2199 रकबा 0.87 है0 पर काबिज है तथा उक्त आराजी ही प्रार्थीगण के नाम आंवटित हुई है। प्रार्थीगण का केवल आराजी संख्या 2199 पर ही कब्जा है तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण पूर्वज को आंवटित हुई है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कभी अवैध कब्जा नही किया गया है तथा न ही प्रार्थीगण का कब्जा आराजी संख्या 2198 व 2308 पर रहा है। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी संख्या 2199 पर कभी दखंलदाजी नही की है विपक्षीगण सुखलाल गुर्जर ने काफी अंग मेहनत व लागत लगाकर आराजी संख्या 2198 व 2308 को उपजाउ बनाया है। प्रार्थीगण का वाद सव्यय खारीज फरमाया जाए। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है न ही प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होने वाली है। काउन्टर क्लेम के रूप में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 2198 पर करीब 70–80 वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाद रूप से विपक्षीगण का ही कब्जा चला आ रहा है विपक्षीगण व उनके पूर्वजो द्वारा काफी अंग मेहनत कर उसके चारो ओर पत्थर की दीवार बनाकर उसे उपजाउ बनाया है। प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा और न वर्तमान मे है परन्तु प्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर विपक्षीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त भूमि को अन्य को रहन, बय, बक्षीस करने पर आमादा है जिससे बहक विपक्षीगण विरूद्व प्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थीगण खातेदार कृषक है और उक्त आराजी पर विपक्षीगण जबरन कब्जा करना चाहते है विपक्षीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात पर 70–80 वर्षो से कब्जा है और चारदीवारी बना रखी है। भूमि को काफी मेहनत लगाकर उपजाउ बनाई है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड़ में विपक्षीगण को बेदखल कराना चाहे रहे है जो उचित नही है जबकि विपक्षीगण कई वर्षो से काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप मे दर्ज है जबकि विपक्षीगण के जवाब अनुसार मौके पर विपक्षी का कब्जा है। विपक्षी के द्वारा अपने जवाब में यह अकिंत नही किया कि कब्जा किस हैसियत सें प्रार्थीगण की भूमि पर काबिज है। मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण क कब्जे है या विपक्षीगण के कब्जे में स्वामित्व किसका वैध है यह सारे तथ्य मूलवाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय होना है किन्तु मौके पर दोनो पक्षो के मध्य कोई विवाद नही हो इसके लिये मौके की यथास्थिति रखी जाना न्यायाहित में उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक एवं विपक्षीगण द्वारा काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यो को आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सगेरव की आराजी संख्या 2198, 2199 व 2308 के मौके की यथावत स्थिति रखी जावे। उभयपक्ष मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे ओर न किसी प्रकार का निर्माण करे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

21.06.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा